न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 32/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025/204

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री गोरधनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी दुगौर अचला तहसील सांजू जरिये आम मुख्त्यार श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी–प्लॉट नम्बर ए–116 घाट के बालाजी,आगरा रोड़,जयपुर		1. श्री मोहन चौधरी सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,डेगाना 2. श्री रणबहादुर सिंह पुत्र बन्नेसिंह 3. श्रीमती उमा कुमारी पत्नी रणबहादुर सिंह जातियान–राजपूत निवासीगण–दुगौर अंचला तहसील सांजू जिला नागौर 4. तहसीलदार,सांजू 5. श्रीमती सुनीता कुमारी पत्नी स्व. रघुवीरसिंह जाति–राजपूत निवासी–दुगौर अंचला तहसील सांजू

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर वकील श्री भंवरलाल चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनियां राजपैरोकार उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री देवेन्द्रराज कल्ला उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद पर्याप्त तामिल अनुपस्थित।

:: आदेश :: दिनांकः–06.05.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश कर न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), डेगाना में विचाराधीन प्रकरण उनवान गोरधनसिंह बनाम रणबहादुरसिंह व अन्य के प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री देवेन्द्रराज कल्ला ने दिनांक 06.01.2026 को जबाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित हुवे तथा अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 03.12.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/रीडर/2025/168 दिनांक 01.12.2025 से प्रार्थना –पत्र पर बिन्दूवार टिप्पणी पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र की बहस में प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 भाई है एवं अप्रार्थी संख्या 3 भाई की पत्नी है। प्रार्थी व अप्रार्थी की पुश्तैनी भूमि राजस्व ग्राम दुगौर अंचला तहसील सांजू में स्थित हैं। खसरा नम्बर 153,217/153,514/153,153/1,154/,155 की भूमि एक ही चक में आई हुई थी। उपरोक्त खसरा में से खसरा नम्बर 153 रकबा 2.1500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी गोरधनसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। प्रार्थी व्यवसाय के सिलसिले में अमेरिका में निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अक्सर गांव में ही निवास करते है इसलिए उन्होंने प्रार्थी की अनुपस्थिति में व व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहने के कारण उसका फायदा उठाते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 153 व 217/153 की कुछ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 214/153,153/1,154 व 155 जो मौके पर एक ही खेत हैं,उसमे मिला रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त भूमि के साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 के कब्जे वाली भूमि का हस्तान्तरण अन्य व्यक्तियों को करने पर आमादा है।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन रहा कि दिनांक 28.06.2018 को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 ने खसरा नम्बर 153,153/1 का नाप करवाया था,उक्त नाप के अनुसार खसरा नम्बर 153 का कुछ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 153/1 मे मिलाया हुआ प्रकट होता है,इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा किये गये उनके खातेदारी के खेत का अवैध कब्जा छुड़ाने व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अपने खेत खसरा नम्बर 153/1,153/214,154,155 के साथ उक्त व्यक्तियों को उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने से रोकने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,डेगाना के समक्ष धारा 88,188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद पेश किया व उक्त वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 दर्ज किया गया व दिनांक 14.07.2025 को प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 24.09.2025 को न्यायालय में पेश किया तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त जबाब का जबाब उल जबाब पेश करने हेतु दिनांक 17.10.2025 को आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने पर दिनांक 27.10.2025 को जबाब पेश करने हेतु तारीख पेशी दी गई। प्रार्थी ने दिनांक 27.10.2025 को जबाब पेश कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 27.10.2025 को आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

आवेदन पत्र का ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कोई जबाब पेश नहीं किया व उक्त आवेदन–पत्र दिनांक 30.10.2025 को सुनवाई के लिए रखा गया व उसी दिन सुनकर के अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया व दिनांक 03.11.2025 को ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के लिए पत्रावली नियत कर दी गई। उक्त तारीख पर प्रार्थीगण ने सुनवाई के लिए अवसर मांगा तो कोई अवसर नहीं दिया गया तब प्रार्थी को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की मंशा पर पूर्ण संदेह हो गया कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रभाव में है और यथाशीघ्र उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी का जो अवैध कब्जा कर रखा है,उसको हस्तानान्तरण करने में पीठासीन अधिकारी उनकी मदद करना चाहते है,इसलिए न केवल आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कोई जबाब पेश नहीं किया और आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र का भी जबाब पेश नहीं कर किये जाने परसुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 30.10.2025 को रखी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनाक 30.10.2025 को खारिज कर दिया गया एवं उक्त खारिज आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश करने के लिए समय की मांग करने पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाकर दिनांक 03.11.2025 को मूल प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई हेतु नियत कर दी । इस प्रकार प्रकरण में जल्दी–जल्दी तारीख पेशीयां देना तथा प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही करना यह सभी तथ्य यह साबित करते है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाब में आकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में फैसला देने पर उतारू है।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी तर्क है कि पीठासीन अधिकारी महोदय की इस प्रकरण में इस प्रकार कार्यवाही की जांच के प्रयास प्रार्थी द्वारा किये जाने पर यह ध्यान में आया है कि पीठासीन अधिकारी सता पक्ष के क्षेत्रीय विधायक के प्रभाव में है एवं उनकी अनुशंषा पर ही उनकी नियुक्ति हुई है इसलिए क्षेत्रीय विधायक का इस प्रकरण का अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निर्णय देने का दबाब है। इस प्रकरण में इस प्रकार जल्दी कार्यवाही की मंशा से पीठासीन अधिकारी डेगाना की निष्ठा व ईमानदारी भी संदिग्ध है। क्षेत्र मे निवास करने वाले लोगो व फरीखो में आम चर्चा है कि सहायक कलक्टर डेगाना बिना किसी रिश्वत के कोई कार्य नहीं करते है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी से धनबल के प्रभाव में आदेश पारित करवाने पर आमादा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हित एक दूसरे से जुड़े हुए है और यह येन केन प्रकरेण मनमाने रूप से प्रकरण का निस्तारण अपनी इच्छानुसार करने पर आमादा है। इस हेतु उनके द्वारा नजदीक अंतराल से पेशीयां भी नियत कर सरसरी तौर पर प्रकरण का निस्तारण करने की दिशा में कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया है,जिससे वर्तमान पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद शेष नहीं रही है इसलिए निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 की पत्रावली तलब कर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रार्थी ने जानबूझ कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दर्ज कर बदनियती से पत्रावली मुन्तकिल करने हेतु मिथ्या आवेदन पेश किया व वास्तविक तथ्य न्यायालय से छुपाये हैं तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं हमारे उपर झूठे आरोप प्रार्थना–पत्र में लगाये हैं। प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध मिथ्या तथ्य प्रकट माननीय न्यायालय से एक पक्षीय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अंतरिम अस्थाई आदेश जारी करवा लिया अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण का जबाब दाखिल कर दिया गया है इसलिए न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि प्रकरण पर विधिवत सुनवाई कर उसका मेरिट पर निस्तारण किया जावें एवं इसी उद्धेश्य से माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में सुनवाई कर रहे हैं वैसे भी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के प्रार्थना–पत्र का एक माह की अवधि में निस्तारण किया जाना होता है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश कर एक तरफा मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाया है, अब इस आदेश को यथावत रख कर उसका दुरूपयोग कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि पर जबरन कब्जा कर हस्तक्षेप करने के दुराशय से यह मुन्तकिल आवेदन बदनियती से पेश किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की न तो कोई रिश्तेदारी है न जान पहचान है न ही विधायक महोदय से कोई जान पहचान है एवं न ही कोई अनुशंषा उनसे करवाई गयी है न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने की कोई साक्ष्य है इसके बावजूद केवल मात्र पत्रावली मुन्तकिल करवाने के दुराशय से इस तरह के तथ्य दर्ज कर ईमानदार अधिकारी की छवि खराब करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र के जबाब में प्रकरण की वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है जिस पर मेरिट पर निस्तारण होना है तथा मेरिट में होने वाले निस्तारण से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं हो तो अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने का प्रावधान है ऐसे में पत्रावली मुन्तकिल करने का कोई आधार व औचित्य नहीं है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी खारिज होने से उनकी निगरानी हेतु समय नहीं दिये जाने को भी इस प्रार्थना–पत्र के मुंतकिल का आधार बताया है परन्तु आज दिनांक निगरानी पेश की हो ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे भी यह प्रकट है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण को बिना वजह विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज किया जावें।

राजपैरोकार का बहस में कथन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाये हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई राजनैतिक दबाब इस प्रकरण को लेकर नहीं है एवं न ही रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य दर्ज किये हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का आवेदन खारिज दिनांक 30.10.2025 के विरूद्ध निगरानी पेश करने का अवसर प्रदान नहीं करने का आरोप लगाया है जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसा कोई निवेदन पीठासीन अधिकारी से नहीं किया है एवं न ही पीठासीन अधिकारी से इस प्रकार का कोई अवसर चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2025 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश करने के कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध झूठे आरोप लगाये है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

राजपैरोकार का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जबाब पेश हो चुका है तो प्रकरण में सुनवाई की जाकर प्रकरण का निस्तारण ही किया जाना है। एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण को 30 माह में निर्णित किया जाना होता है इसी उद्धेश्य से इस प्रकरण में तारीख पेशीयां दी गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 08 नियम 9 सीपीसी पेश कर जबाब उल जबाब पेश करने का अवसर चाहा गया था। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अभिभाषक द्वारा इस प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने में आपति जाहिर नहीं करने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार कर प्रार्थी को जबाब उल जबाब पेश करने का समय दिया गया है। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक इसी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का पेश कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया इस प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे पक्षकारान की बहस सुनकर प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया है। वर्तमान में प्रकरण अंतिम बहस में नियत है तथा प्रार्थी को इस प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं की जा रही है फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझकर प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। इसलिए निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज फरमायाा जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), डेगाना में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 उनवान गोरधनसिंह बनाम रणबहादुसिंह व अन्य की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 के प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशी देने के आधार पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण व राजनैतिक दबाव में होने का आक्षेप लगाया गया है। प्रार्थी का उक्त आक्षेप युक्ति–युक्त नहीं है, क्योंकि राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 में प्रार्थी ने एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपने पक्ष में जारी करवा रखी है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण का जबाब पेश हो चुका है इसलिए इस प्रकार के प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण समय पर किये जाने का निर्देश है। जहां तक प्रार्थी का यह कथन है कि उनके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना–पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी को जबाब दिये बिना ही अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस न्यायालय के समक्ष कर ली तथा माननीय न्यायालय द्वारा उसी दिन यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया गया तो उसमें क्या एतराज है यह प्रार्थना–पत्र तो प्रार्थी के पक्ष में ही स्वीकार किया जाकर जबाब उल जबाब पेश करने की अनुमति दी है जिसे प्रकरण मुंतकिल का आधार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकरण में विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन रहा कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का किया था, जिसे खारिज कर दिया उक्त आवेदन को खारिज करने के आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से निगरानी पेश करने के लिए समय दिये जाने की मांग का कोई तथ्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी के आवेदन आदेश 39 नियम 07 सीपीसी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज करने के तथ्य का हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में कोई औचित्य नहीं है।

प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मिले हुवे हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक दबाब में हैं एवं उपखण्ड अधिकारी इस प्रकरण को अपनी इच्छा अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निस्तारण करने का मानस बिना लिया है प्रार्थी का यह कथन किसी साक्ष्य से

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

साबित नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के उक्त कथनों को अस्वीकार किया है। राजपैरोकार द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 में निष्पक्ष व विधि अनुसार कार्यवाही करने का कथन किया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा यह प्रकट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जांच का प्रयास करने पर पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी द्वारा कैसे एवं किसके सामने जांच की गई इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है तथा केवल प्रार्थी के कथन मात्र के आधार पर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयां दी जाकर जल्दी सुनवाई कर प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में निस्तारण करने का मानस पीठासीन अधिकारी ने बनाया है उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी एवं राजपैरोकार ने कथन किया है कि वकील प्रार्थी का उक्त कथन ठोस आधारों पर नहीं है, और न ही ऐसा कथन राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 86/2025 के प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने का आधार है। इस प्रकार किसी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में बिना किसी ठोस कारण के मुन्तकिल किये जाने पर प्रकरण के अन्य पक्षकारों को अपने प्रकरण की पैरवी हेतु आने–जाने में समय व धन भी बबार्द होता है तथा किसी भी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के संबंध में पर्याप्त ठोस कारण उपलब्ध होने पर ही प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई ठोस कारण उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,डेगाना को भिजवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर